कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2766 / FP/UK/ROAD/13419/2015 :देहरादूनःदिनांकः 09 अप्रैल, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू मोटर मार्ग से बुखा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 254 / 2016 / एफ0सी0 / 1335 दिनांक 06–11–2017 (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/13419/2015)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 350 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 3,85,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 2,35,206.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बढोत्तरी के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुल जमा की गयी धनराशि रू0 6,20,206.00 मात्र की ऑनलाईन चालान के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित कियां जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित परियोजना का जियो–रिफरेन्सड एवं डिजिटल मानचित्र मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 2733 / 13सी0 दिनांक 25–09–2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि वन अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित मूल प्रति पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये थे। प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या–2766 / FP/UK/ROAD/13419/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक